राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 17 (18) कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांकः '4 FEB 2015

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्रादेश

विषयः–नियमों/अधिनियमों/विनियमों के अद्यतन/निरसन करने के सम्बन्ध में।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रेषित अ.शा. पत्र क्रमांक प. 29 (20) ए. आर.डी./ग्रुप–1/2014 दिनांक 12.08.2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा विभिन्न अनुपयोगी अधिनियमों/नियमों/विनियमों के निरसन अथवा उनके उपयोगी होने की दशा में भी, उन्हे अद्यतन करने की कार्यवाही समयबद्ध रुप से करने का आग्रह किया गया है।

इस सम्बन्ध में कई प्रशासनिक विभाग द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है कि विभिन्न विभागों के सेवा नियमों के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा की जानी है अथवा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा।

चूँकि अपनी अपनी आवश्यकता एवं उपयुक्तता के मध्यनजर, सेवा नियमों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही तैयार करवाया जा कर, सभी सम्बन्धित स्तरों से अनुमोदन भी करवाया जाता है। उसके पश्चात केवल अधिसूचना जारी करने का कार्य ही कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा किया जाता है। इन नियमों के उपयोगी अथवा अनुपयोगी होने की अथवा इनमें अपेक्षित संशोधनों/परिवर्तनों की आधिकारिक जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के स्तर पर ही संभव है, कार्मिक विभाग के स्तर पर नहीं।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित सेवा नियमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्बधित प्रशासनिक विभागों के स्तर से ही सम्पादित की जावेगी।

कृ. पृ. उ.

प्रशासनिक विभाग इस दृष्टि से अपने संबंधित सेवा नियमों का परीक्षण कर लें। निरसन/अद्यतन की आवश्यकता महसूस होने की स्थिति में उनके स्तर की सम्पूर्ण कार्यवाही उक्तानुसार सम्पन्न कर अधिसूचना कार्मिक (क–2) विभाग को जारी किये जाने के लिए प्रेषित की जावेगी।

कृपया तद्नुसार समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. सचिव, राज्यपाल महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को उनके अ.शा. पत्र प. 29 (20) ए. आर.डी./ग्रुप–1/2014 दिनांक 12.08.2014 के संदर्भ में।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

(ओ. पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

/2015